"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2005—कार्तिक 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक फा. 1-1/2003/8242/21-ब/05.—छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. फ. 1-1/2003/5804/21-ब/04, दिनांक 23-9-2004 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिलों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का न्यायालय स्थापित करती है जैसी कि नीचे सूची में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट है और न्यायालय नियत दिनांक 26-11-2005 से प्रवृत्त माने जायेंगे.

अनुसूची

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	4	5	10
2.	बिलासपुर	11	10	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1	2	3
4.	दुर्ग	8	5	13
5.	जशपुर	1	2	2
6.	कबरीधाम (कवर्धा)	-	3	1
7.	कोरबा	1	3	2
8.	रायगढ़	2	2	7
9.	रायपुर	14	13	21
10.	राजनांदगांव	3	5	5
11.	सरगुजा (अंबिकापुर)	5	7	9

Raipur, the 24th October 2005

NOTIFICATION

F. No. 1-1/2003/8242/XXI-B/05.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the previous Department Notification No. F. 1-1/2003/5804/21-B/04, dated 23-9-2004, the State Government hereby establishes with effect from dated 26-11-05 such number of Courts of the Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II in each Civil District in Chhattisgarh as specified against each Civil District in the Table below :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Number of Courts		
		Additional District Judges	Civil Judges Class-I	Civil Judges Class-II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bastar (Jagdalpur)	4	5	10
2.	Bilaspur	11	10	13
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	1	2	3
4.	Durg	8	5	13
5.	Jashpur	1	2	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Kabeer Dham (Kwardha)	-	3	1
7.	Korba	1	3	2
8.	Raigarh	2	2	7
9.	Raipur	14	13	21
10.	Rajnandgaon	3	5	5
11.	Sarguja (Ambikapur)	5	7	9

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.